

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री सतीश कुमार पिता श्री सुकनाथ साव निवासी ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49 (रैयती) खाता सं. 08, 44 एवं 29 के अधीन प्लॉट सं. 364, 313, 553, 317, 37, 175, 177, 265, 281, 341, 283, 354, 361, 427, 436, 500, 531, 662, 676, 708, 108 एवं 311; ग्राम: देवलगड़ा, थाना सं: 28 (रैयती) खाता सं. 13 एवं 19 के अधीन प्लॉट सं. 15 एवं 14; कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

- क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 08, प्लॉट न. 364 जिसका कुल रकबा 0.15 एकड़ है जिसे केवला स. 9317 दिनांक 22.06.1972 के माध्यम से चेतिया देवी पति रूपलाल साहू के द्वारा जीवन राम पिता हीरामन राम से खरीदगी की गयी थी
- ख. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 44, प्लॉट न. 313, 553 एवं 317 जिसका रकबा 0.69 एकड़, 0.18 एकड़ एवं 0.31 एकड़ है जिसे केवला स. 7435 दिनांक 08.07.1977 के माध्यम से रूपलाल साव पिता धूतल साव के द्वारा दशरथ गंडू पिता दुखन गंडू से खरीदगी की गयी थी
- ग. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 44, प्लॉट न. 311 जिसका कुल रकबा 0.23 एकड़ केवला स. 7435 दिनांक 08.07.1977 के माध्यम से रूपलाल साव पिता धोटल साव के द्वारा खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत दशरथ गंडू पिता दुखन गंडू थे। उस खरीदगी रकबा 0.23 एकड़ रूपलाल साव पिता धोटल साव ने केवला स. 4730 दिनांक 20.08.1994 के द्वारा श्री रामसेवक साव पिता स्व. दमड़ी साव को बिक्री किया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49 (रैयती) खाता सं. 08, 44 एवं 29 के अधीन प्लॉट सं. 364, 313, 553, 317, 37, 175, 177, 265, 281, 341, 283, 354, 361, 427, 436, 500, 531, 662, 676, 708, 108 एवं 311; ग्राम: देवलगड़ा, थाना सं: 28 (रैयती) खाता सं. 13 एवं 19 के अधीन प्लॉट सं. 15 एवं 14; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री सतीश कुमार पिता श्री सुकनाथ साव निवासी ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विशेषा कुमार
06/02/2029

0710812021 15:54